

## प्रेस नोट 15.05.19

1. दिनांक 14.05.19 को वादी श्री राकेश कुमार गुप्ता प्रभारी निरीक्षक रा0ज0भू0, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. संतोष निषाद उर्फ बाबी निषाद निवासी रतनाभारी थाना रौनाही, अयोध्या 2. रवीन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुक्कू सिंह पुत्र स्व0 काली प्रसाद सिंह निवासी कुन्दुर्खा खुर्द थाना रौनाही, अयोध्या अभि0 संतोष निषाद के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अभि0 रवीन्द्र प्रताप सिंह के कब्जे से 7 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रा0ज0भू0 में मु0अ0सं0 49/19 व 50/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 14.05.19 को वादी श्री ललित कुमार मिश्र लेखपाल रामपुर सर्धा, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गंगादीन पुत्र बदलू यादव निवासी रामपुर सर्धा थाना पूराकलन्दर, अयोध्या अभियुक्त द्वारा चक मार्ग को अवरुद्ध कर अवैध रूप से कब्जा करना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 216/19 धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 14.05.19 को वादी उ0नि0 श्री अरविन्द गुप्ता थाना हैदरगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. अमित कुमार पुत्र राम उजागिर निवासी कुँआडाड़ थाना हैदरगंज, अयोध्या 2. बाल किशन पुत्र राम सिंगार चौबे निवासी चौबेपुर मलावन थाना हैदरगंज, अयोध्या अभियुक्तगण के कब्जे से 10-10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 123/19 व 124/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 14.05.19 को वादी श्री सन्तराम पुत्र शीतला प्रसाद निवासी रानीमऊ थाना पटरंगा, अयोध्या द्वारा सूचित किया गया कि रामू पुत्र शीतला प्रसाद निवासी रानीमऊ थाना पटरंगा, अयोध्या आदि 04 नफर वादी द्वारा लगाये गये बैरियर को अभि0गण द्वारा हटाना, मना करने पर मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 96/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 14.05.19 को वादी श्री सोनू पुत्र राम तीरथ निवासी जैथरी थाना को0रूदौली, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि देशराज पुत्र शिवनाथ निवासी जैथरी थाना को0रूदौली, अयोध्या आदि 04 नफर खेत में गड़े खम्भे में लगे तार को निकालने की बात को लेकर अभि0गण द्वारा मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0रूदौली में मु0अ0सं0 166/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

